बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–1/पी0सी0आर0(विविध)09–10/12 (खण्ड)– 258

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 8.2.13

विषय– **अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम–10 एवं नियम–17 के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र–949 दिनांक–24.04.2012 एवं पत्रांक–206 दिनांक–06.03.2012 का संदर्भ किया जाय।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1995 के अन्तर्गत गठित राज्यस्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की दिनांक–26.10.2012 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न नियमों की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई थी कि सामान्य प्रशासन के पत्रांक–40 दिनांक–02.01.2007 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा जिलास्तर पर अपर समाहर्ता स्तर के एक पदाधिकारी को **"विशेष कार्य पदाधिकारी"** के रूप में प्राधिकृत किया गया है, लेकिन 06 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विशेष पदाधिकारी द्वारा उन्हें सौपी गई जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जा रहा है कि नहीं इस संबंध में किसी जिला से समीक्षोपरांत कोई सूचना/प्रतिवेदन अप्राप्त है। साथ ही यह बातें भी सामने आयी कि कई जिलों में जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समय पर नहीं की जा रही है।

इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया की नियम–10 के अन्तर्गत जिलो में विशेष पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपी गयी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उनके कार्यों की प्रत्येक माह गहन समीक्षा करते हुए उनके कार्यकलाप के संबंध में विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि जिला स्तरीय सर्त्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक निर्धारित समय पर की जाय, अगर निर्धारित समय पर यह बैठक नहीं होती है तो निदेश है कि जनवरी, मार्च, 2013 के त्रैमास की बैठक 1–15 फरवरी, 2013 के बीच कर ली जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभागीय ई–मेल:-secy-welfare-bih@nic.in या फैक्स संख्या–0612–2217251/2215265 द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव।

Rameshwarbabu Sec.Cell